



पत्रांक:- पी०डी०पी० : विषयांक: 8672 दिनांक:- 25.02.2025

निविदा सूचना

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा होल डे मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण।

वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक संस्कारी संघ लिं० (पटना डेपॉर्टमेंट) पटना जो सुधा ब्राउन का स्वामित्व धारक है, राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन / अन्य सरकारी संस्थानों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये पटना जिले के 10 (दस) स्थलों हेतु इच्छक निविदा द्वारा जिलापिलार के साथ-साथ आवेदन करते हों एवं पात्रता पूरी करते हों से सुधा होल डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित करती है।

निविदा दाता निविदा प्रत्र एवं कार्म, निविदा के नियम व शर्त पटना डेपॉर्टमेंट के वेबसाइट www.patnaldairy.org से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा दाता को खुली निविदा के माध्यम से संबोधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क को संलग्नित करते हुए मरा जायेगा। बन्द लिफाको के उपर "सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन/अन्य सरकारी संस्थानों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन" के साथ-साथ आवेदक का नाम, पता, मो०न० एवं सुधा पालर हेतु आवेदित स्थल का नाम अवश्य लिया होना चाहिए।

वेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता नियम 26.02.2025 से 15.03.2025

निविदा कार्म भर कर जमा करने की अंतिम तिथि 20.03.2024 अपराह्न 5.00 बजे तक

निविदा कार्म पूर्ण रूप से भरकर बैंद लिफाको में संबोधित दस्तावेजों एवं पंजीकरण शुल्क के डिमाउंड ड्राइफ्ट को सलान करते हुए निविदा डाक/कुरियर/हाथी हाथ के माध्यम से निम्न पते पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अवश्य जमा करा दें। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त हुए निविदा पर नियां नहीं किया जायेगा। आवंटन के उपरान्त भी यदि होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण किन्तु कारणों से संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में आवेदक को नियम आवेदन आवेदन सह करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी अप्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक,

वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक संघ लिं०

फीडर ईलेसिंग डेवरी कॉम्लेक्ट

पौ०-फुलवारीशरीफ पटना-801505

पटना जिला में अवस्थित स्थलों की सूची जहाँ के लिए आवेदन आमंत्रित है।

क्रम संख्या का नाम	स्थल का नाम	पंजीकरण शुल्क	अप्रधन राशि
1	पटना सरकारी अभियंत्रण कॉलेज बखियारपुर पटना	रु1000/-	रु 10000/-
2	पटना बिहारी थाना के नजदिक बिहारी पटना	रु1000/-	रु10000/-
3	पटना पालीगंज बस स्टेंड पालीगंज पटना	रु1000/-	रु10000/-
4	पटना रेफरल अस्पताल नीबतपुर पटना	रु1000/-	रु10000/-
5	पटना किसान भवन के नजदिक दुष्टिनद्याजार	रु1000/-	रु10000/-
6	पटना पी० एच० सी० हॉस्पीटल बनियादा पटना	रु1000/-	रु 10000/-
7	पटना पी० एच० सी० हॉस्पीटल खुसलपुर पटना	रु1000/-	रु10000/-
8	पटना महारानी थीक फतहा पटना	रु1000/-	रु10000/-
9	पटना रेफरल अस्पताल मरीढ़ी पटना	रु1000/-	रु 10000/-
10	पटना प्राथमिक स्कूल केन्द्र मोतीयोक दानापुर पटना	रु1000/-	रु 10000/-

अधोहस्ताक्षरों को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक

Size:8x16

O.K.

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
पटना डेयरी प्रोजेक्ट

फुलवारीशरीफ, पटना ८०७५०

पत्रांक:- पी०डी०पी० : विपणन : ८६७२

दिनांक:- 25.02.2025

निविदा सूचना

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-२ कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण।

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) पटना जो सुधा ब्राण्ड का स्वामित्व धारक है, राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-२ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन/अन्य सरकारी संस्थानों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये पटना जिले के १० (दस) स्थलों हेतु इच्छुक निविदा दाता, जो विहार राज्य के स्थायी निवासी हों एवं पात्रता पूरी करते हों, से सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित करती है।

निविदा दाता निविदा प्रपत्र एवं फार्म, निविदा के नियम व शर्तें पटना डेयरी प्रोजेक्ट के वेबसाईट www.patnadairy.org से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा फार्म को खुली निविदा के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क को संलग्नित करते हुए भरा जायेगा। बन्द लिफाफे के उपर “सात निश्चय पार्ट-२ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन / अन्य सरकारी संस्थानों/ विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन” के साथ-साथ आवेदक का नाम, पता, मो०न० एवं सुधा पार्लर हेतु आवेदित स्थल का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

वेबसाईट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता — दिनांक 26.02.2025 से 15.03.2025।

निविदा फार्म भर कर जमा करने की अंतिम तिथि 20.03.2024 अपराह्न 5.00 बजेतक।

निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरकर बंद लिफाफे में संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीकरण शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट को संलग्न करते हुए निर्बंधित डाक/कुरियर/हाथो-हाथ के माध्यम से निम्न पेते पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अवश्य जमा करा दें। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त हुए निविदा पर विवार नहीं किया जायेगा।

आवंटन के उपरान्त भी यदि होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में आवेदक को निर्गत आवंटन आदेश रद्द करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक,

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक संघ लि०

फीडर बैलेंसिंग डेयरी कॉम्प्लेक्स

पो०— फुलवारीशरीफ, पटना – ८०१५०५

पटना जिला में अवस्थित स्थलों की सूची जहाँ के लिए आवेदन आमंत्रित है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्थल का नाम	पंजीकरणशुल्क	अग्रधनराशि
1	पटना	सरकारी अभियंत्रण कॉलेज, बखियारपुर, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
2	पटना	बिहटा थाना के नजदिक बिहटा, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
3	पटना	पालीगंज बस स्टेप्पड पालीगंज, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
4	पटना	रेफरल अस्पताल नौबतपुर, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
5	पटना	किसान भवन के नजदिक दुल्हनबाजार	रु 1000/-	रु 10000/-
6	पटना	पी० एच० सी० हॉस्पीटल दनियाँवा, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
7	पटना	पी० एच० सी० हॉस्पीटल खुसरपुर, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
8	पटना	महारानी चौक फतुहा, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
9	पटना	रेफरल अस्पताल मसौढ़ी, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-
10	पटना	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीचौक दानापुर, पटना	रु 1000/-	रु 10000/-

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक

खंड-१
(तकनीकी निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफ लाइन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

(हाल के पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ)

1. जिला का नाम :
2. आयोदित स्थल का नाम :
(कृपया उस आयोदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे मिल्क पार्लर के आवटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
4. आवेदक का पता
(क)वर्तमान पता :

(ख)स्थायी पता :

(कृपया क्रम संख्या 3 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

5. मोबाइल नम्बर : ई-मेल :
6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या :
(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
7. पैन कार्ड नम्बर :
(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
8. स्थायी निवास प्रमाण पत्र :
(आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का विभार सज्य का रथायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योग्यता(साक्षर) :
(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. उम्र (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-21 वर्ष) :
(कृपया जन्म प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तावेज या दस्तावेजी पास का स्वअभिप्राग्नित छाया प्रति संलग्न करें जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित है।)

11. रव घोषणा प्रमाण पत्र:
(आवेदक द्वारा संलग्नित "रवघोषित प्रमाण पत्र" संलग्न करना आवश्यक होगा।)

12. क्या आवेदक रवरथ है ? हाँ / नहीं
(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावे)

(वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना) द्वारा माँग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्नित करना होगा।)

13. निविदा में आमत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रधन राशि :-
(आवेदनकर्ता निर्धारित रजिस्ट्रेशन की ₹० 1,000.00 एवं अग्रधन की राशि ₹० 10,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो अलग-अलग हो एवं वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगताये हो, संलग्नित करें।)

14. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता :
(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी ₹० 100000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा-फिक्सड डिपोजिट या संबंधित वैक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत वैकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

नोट:

- सुधा भिल्क पालर हेतु आवेदन करने से पहले निविदा दाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़, समझ लें।
- क्रम संख्या 1 से 14 तक अनिवार्य सभी शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगे।
- सफल उमीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI License प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदा दाता का वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।

स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इनमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मैं इस तथ्य से अधी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किराए भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द करना जायेगा। नगर द्वारा दी गयी सभी सुचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

रथान:

स्व घोषणा प्राप्ति पत्र

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी रादरय सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/ है 'अथवा नहीं ।

हूँ / नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

2. मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फैडरेशन लि�।, पटना या कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/ है 'अथवा नहीं ।

हूँ / नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

यदि 2 का उत्तर हाँ है, तो निम्न व्यौरा भरें ।

मैं (आवेदक का नाम).....

स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरतका^{ओं} का नाम)

(संघ/इकाई का नाम)..... के

(पदनाम)..... के पद पर

(पदस्थापन का स्थान)..... में कार्यरत है,

एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध)..... है ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

खंड—॥
(द्वितीय निविदा)

सुधा भिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफ लाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

1. ज़िला का नाम :
2. आवेदित स्थल का नाम :
(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे भिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
4. सुधा होल-डे भिल्क पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर (₹० प्रतिमाह)

अंकों में
.....

शब्दों में
.....

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

परिशिष्ट “क”

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन / अन्य सरकारी संस्थान / विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर आधारित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (WDMB) के आवंटन एवं संचालन प्रक्रिया हेतु नियम व शर्तें ।

- 1.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन का उद्देश्य एवं प्रक्रिया –
 - 1.1 सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार स्टेट मिल्क को—ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना (कॉम्फेड) के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न प्रखंडों / जिलों को आच्छादित करते हुए कुल 600 सुधा विषयन केन्द्र सुधा (होल-डे मिल्क पार्लर) का निर्माण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक किया जायेगा । प्रत्येक दुध सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के आधारभूत संरचना के विकास यथा प्रि-फैक्रिकेटेड सुधा होल-डे मिल्क पार्लर, पक्का सिविल संरचना युक्त होल-डे मिल्क पार्लर, डीप फ्रीज एवं विद्युत फिटिंग व साज सज्जा का व्यय कॉम्फेड द्वारा बहन किया जायेगा ।
 - 1.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर बिहार राज्य के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है । बिहार सरकार द्वारा योजना की मंजुरी से सुधा उत्पादकों के विषयन के साथ-साथ बिहार के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी ।
 - 1.3 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा किया जायेगा । सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के लिए पटना जिला में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्थलों पर निर्मित सुधा मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु निविदा प्रकाशन, आमंत्रण व आवंटन की प्रक्रिया वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा संपादित किया जायेगी ।
 - 1.4 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन की सूचना के व्यापक प्रबार हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से खुला विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा । निविदा की सूचना प्रपत्र पटना डेयरी के वेबसाईट www.patnadairy.org पर उपलब्ध रहेगा ।
 - 1.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम बार तीन वर्षों हेतु होगी, जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं विकी आकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है । आवंटन की गणना एकराननामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी ।
 - 1.6 आवंटी वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे । आवंटी के कॉम्फेड या पटना डेयरी प्रोजेक्ट के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी रवंय को स्थापित नहीं करेंगे और इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।
 - 1.7 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौता के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मापदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों / कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी ।
 - 1.8 आवंटी/संचालक को वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के साथ रु० 1000/- के नन ज्यूडीशियल स्टाप पेपर पर एकराननामा संपादित करना होगा । अनुबंध का प्रारूप वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
 - 1.9 प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जॉच वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी ।
 - 1-10 आवेदनों का प्रारूप का निर्धारण जिसमें आवेदनकर्ताओं के लिए नियम शर्तें होगा तथा प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी का कार्य निविदा की प्रक्रिया इत्यादि पूरा करने का कार्य वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० के स्तर से की जायेगी । स्कूटनी किये गये आवेदकों का वैशाल पाटलिपुत्र दुध उत्पादक सहकारी संघ लि० के प्रबंध निदेशक द्वारा गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति के समक्ष उपरिस्थिति किया जायेगा । गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों में संघ के प्रभारी लेखा, विषयन प्रभारी एवं कोई एक वरीयतम पदाधिकारी होगे ।

समिति के अन्य सदस्यों में जिला गव्य पदाधिकारी या उनके नामित प्रतिनिधि तथा कॉम्फेड मु० के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना के प्रबन्ध निदेशक अधिकृत होंगे।

पटना जिला के अन्तर्गत सुधा मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की रकूटनी का कार्य, निविदा का प्रक्रिया इत्यादि पूरा करने का कार्य वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना के स्तर से की जायेगी। रकूटनी किये गये आवेदनों को प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना के द्वारा गठित उच्चस्तरीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा जिसके अध्यक्ष प्रबंधक, निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना होंगे। गठित उच्चस्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना अधिकृत होंगे।

2.0 चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रण—

2.1 सुधा होल-डेमिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा वी सूक्ना डेयरी के वेबसाइट [www.patnadairy.org](http://www.patnadaairy.org) पर उपलब्ध होगा एवं सूचना का प्रकाशन वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी रांग लिं० पटना द्वारा प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

2.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पढ़ Offline द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में रफल उम्मीदवार का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा जिसमें बूथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत बूथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। आवेदन भरने की संबंधित जानकारी, दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तें इस निविदा में तथा वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना के वेबसाइट www.patnadairy.org पर भी दी गयी हैं। आवेदक शो अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इस में निहित सभी नियम व शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

2.3 आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड-1) के फॉर्म को भर कर उस में मौगी मयी जानकारियों का व्यौरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बंद करेंगे। लिफाफा-1 के ऊपर “तकनीकी निविदा” अवश्य लिखें।

वित्तीय निविदा (खण्ड-1) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर समर्पित कर उसे सील बंद स्थिति में समर्पित करेंगे। लिफाफा-2 में ऊपर “वित्तीय निविदा” अवश्य लिखें।

उपरोक्त दर्जीत दोनों लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) ने डालकर उसे सील बंद करेंगे।

आवेदक अपने सभी तीनों लिफाफे पर “राज्य सरकार के द्वारा निश्चय पार्ट-2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये रथलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन” एवं “आवेदित स्थल का नाम” के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाइल/दूरभाष नं० अवश्य लिखेंगे।

2.4 निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर वैशाल नहीं किया जायेगा।

2.5 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों को जाँच वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना के नामित समिति द्वारा की जायेगी।

2.6 वयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं० पटना के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

समिति के अन्य सदस्यों में जिला गव्य पदाधिकारी या सचिव नामित प्रतिनिधि तथा कॉम्फेड मु0 के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गठित उच्च सरकारी निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना के प्रबन्ध निदेशक अधिकृत होंगे।

पटना जिला के अन्तर्गत सुधा मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी का कार्य, निविदा की प्रक्रिया इत्यादि पूरा करने का कार्य वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना के स्तर से की जायेगी । स्कूटनी किये गये आवेदनों को प्रबन्ध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना के द्वारा गठित उच्चस्तरीय निविदा समिति के समक्ष उपर्याप्ति किया जायेगा जिसके अध्यक्ष प्रबन्धक, निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना होंगे । गठित उच्चस्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना अधिकृत होंगे।

चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रण:-

- 2.1 सुधा होल-डेणिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना डेयरी के वेबसाइट www.patnadairy.org पर उपलब्ध होगा एवं सूचना का प्रकाशन वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना द्वारा प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
- 2.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र Offline द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उमीददार का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा जिसमें वृथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत वृथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। आवेदन भरने की संबंधित जानकारी, दिशा निर्देश एवं नियम व शर्त इस निविदा में तथा वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना के वेबसाइट www.patnadairy.org पर भी दी गयी है। आवेदक ये अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इस में निहित सभी नियम व शर्त ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
- 2.3 आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड-1) के फॉर्म को भर कर उस में मौगी गयी जानकारियों का बौरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बंद करेंगे। लिफाफा-1 के ऊपर “तकनीकी निविदा” अवश्य लिखें।
वित्तीय निविदा (खण्ड-1) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर समर्पित कर उसे सील बंद रिथ्ति में समर्पित करेंगे। लिफाफा-2 के ऊपर “वित्तीय निविदा” अवश्य लिखें।
उपरोक्त दर्जित दोनों लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) में डालकर उसे सील बंद करेंगे।
- आवेदक ऊपर सभी तीनों लिफाफे पर “राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन” एवं “आवेदित स्थल का नाम” के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाइल/दूरभाष नं0 अवश्य लिखेंगे।
- 2.4 निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2.5 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर जाँच वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना के नामित समिति द्वारा जी जायेगी।
- 2.6 चयनित उमीददार को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिं0 पटना के नामित पदाधिकारी वा समिति को दिखाना होगा।

2.7 आवेदनों की जाँच के उपरांत एक से अधिक पात्र उम्मीदवारों के द्वारा समर्पित की गयी अधिकतम दर समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में समान रूप से अधिकतम दर समर्पित करने वाले पात्र उम्मीदवारों के बीच के लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा हॉल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।

2.8 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध की आगे की प्रक्रिया, सुरक्षा राशि जमा करना और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना द्वारा किया जायेगा। निर्गत औपचारिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) आवंटन आदेश की एक प्रति कॉम्पैक्ट मुद्रा को प्रेषित की जायेगी।

2.9 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अन्य तकनीकी कारणों से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तब शेष बचे सभी पात्र आवेदकों में से ही अधिकतम दर समर्पित करने वाले को चयनित किया जायेगा। चयन के उपरांत यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में दूसरा सब से अधिक दर समर्पित करने वाले निविदा दाता को प्रथम तया सबसे अधिक समर्पित करने वाले दर पर ही काम करने की सहमति ली जाएगी। तात्पत्रि प्राप्त होने के उपरांत ही उन्हें आवंटन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

यदि दूसरा निविदा दाता भी प्रथम तया सब से अधिक समर्पित किए गये दर पर कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में तीसरे सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदा दाता से प्रथमतया सबसे अधिक प्राप्त दर पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। समर्पित प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य आवंटन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले सफल निविदा दाता द्वारा कार्य करने से मना करने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अनुबंधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

2.10 चयनित सफल उम्मीदवार / निविदा दाता को औपचारिक Letter of Award (LOA) निर्गत किया जायेगा। औपचारिक Letter of Award (LOA) के निर्गत की रिक्ति से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्राप्ति छाया प्रति अभिलेख हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना में जमा करना होगा।

2.11 आवंटीको रुप 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) की सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट (मूलप्रति) के रूप में वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात औपचारिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

2.12 यदि कोई चयनित उम्मीदवार को औपचारिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अनुबंधन की राशि रुप 10,000.00 (दस हजार) जमा कर ली जाएगी।

2.13 वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना दैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना द्वारा अनुबंध के तहत अनियम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा हॉल-डे मिल्क पार्लरों का संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा। जिसे राफलता पूर्वक संचालन एवं विक्री ऑकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु वितरित किया जा सकता है।

2.14 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मापदंड के संबंध में प्रस्तुतदाताओं/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन दो रद्द करके हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

3.0 पात्रता मापदंड:-

- 3.1 शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम साक्षर (प्रमाणपत्र की रवअभिप्राप्ति गेल छाया प्रति संलग्नित करें)।
- 3.2 आवेदक को विहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का विहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की रवअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।
- 3.3 उम्र —निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम—21वर्ष ।
- 3.4 आधार कार्ड संख्या :—
(पहचान के प्रमाण की रवअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।
- 3.5 आवेदकको 'स्व घोषणा प्रमाण पत्र' संलग्न करना होगा जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि :—
1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं या नहीं ।
 2. (अ) मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) विहार रेट मिल्क को—ऑपरेटिव फेडरेशन लिं. पटना या कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ / इकाई में कार्यरत हूँ/हैं या नहीं ।
(ब) यदि 2 (अ) का उत्तर हैं हैं, तो निम्न व्यौरा सहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करें ।

मैं (आवेदक का नाम) स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरत कर्मी का नाम) (संघ/इकाई का नाम) के (पदनाम) के पद पर (पदस्थापन का स्थान) में कार्यरत है, एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध) है ।

(उदाहरणार्थ :—मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिं. मुजफ्फरपुर के डिवरीवर्कर के पद पर सीधान में कार्यरत है, मेरे पिता है ।)

ऐसे आवेदक, (1) जिन्हें स्वयं या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व से होल-डे मिल्क पार्लर आवंटित है, उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्य को एवं (2) कॉम्फेड से कॉम्फेड के संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत वर्तमान कर्मी को इस योजना के अन्तर्गत होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन नहीं किया जायेगा ।

(स्वघोषणा पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है ।)
 - 3.6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अग्रधन राशि :—आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) सभी वर्गों के लिए रु0 1000.00 (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रु0 10,000.00 (दस हजार) निर्धारित है । आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन राशि के रूप में आवेदन के साथ अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
 - 3.7 आवेदन कर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिं. पटना के नाम या उनके द्वारा दत्तात्रे गये नाम पर निर्गत एवं भुगताये हों, संलग्नित करें ।
 - 3.8 वित्तीय योग्यता :—(व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि रु0 1,00,000/-होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा—फिक्स डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के रखय के खाते में रु0 1,00,000/- की राशि जमा रहने का प्रमाण (passbook) की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं. दर्ज हो तथा संबंधित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो) या संबंधित दैक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकसे सर्टिफिकेट वा रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें ।

- 2.9 आवेदक को इतरण होना आवश्यक है। वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा किये जाने पर आवेदक का किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत विकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति जाति करना होगा।
- 3.10 असफल निविदा दाता को अग्रधन की राशि ₹० 10,000/- वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी तरह का व्याज देय नहीं होगा।
- 3.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि के सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि के 1,00,000/- (एक लाख) (वापरी योग्य) डिमांड ब्रॉफट के रूप में जमा करना होगा। अतिम रूप से वयनित 1,00,000/- (एक लाख) (वापरी योग्य) डिमांड ब्रॉफट के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि ₹० 10,000.00 (दस हजार) को आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि ₹० 10,000.00 (दस हजार) को आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि ₹० 10,000.00 (दस हजार) को आवंटी को जमा करना होगा। सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे ₹० 90,000.00 (नब्बे हजार) आवंटी को जमा करना होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा।
- 3.12 चयन के उपरान्त सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर पैन कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध करना होगा।
- 3.13 पात्रता मापदंड के तहत, बिन्दु सं० 3.1 से 3.9 तक अनिवार्य सभी पात्रता मापदंड शर्तों को पूरा करना होगा। पात्रता मापदंड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घाषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया मानदंड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घाषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर की प्रीक्रेया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- 3.14 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदा दाता का वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उनका वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।
- 4.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु Standard Operating Procedure (S.O.P)**
- 4.1 विक्री हेतु सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय सुबह 6:00 AM से रात्रि 9:00 PM तक निर्धारित रहेगा।
- 4.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालक को मार्ग प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुध उत्पाद प्राप्त करना होगा।
- 4.3 प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन संघ से संबंधित विषयन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पत्तियों का अधिकार वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना का होगा।
- 4.4 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्रांड की पहुँच बढ़ाने हेतु प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का विक्री लक्ष्य बाजार क्षमता के ध्यान रखते हुए वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 4.5 आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेज रखनी होगी। विसी अन्य उत्पाद या ब्रांड उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा संबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटी को उसे विशेष रूप से लिखित अनुगति नहीं दी जाती है।
- 4.6 आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र के लिए केवल वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा संबंधित क्षेत्र हेतु नियुक्त वितरक के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पादों को क्रय नहीं किया जायेगा।
- 4.7 आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान राजधित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा।
- 4.8 आवंटी/संचालक को कॉम्फेड या वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की विक्री करना होगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के साथने एम.आर.पी. की सुधी प्रदर्शित करनी होगी।

- 4.9 चयनित आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर वरिसर के पास साफ-राफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 4.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय-समय पर लॉसिंग/रख रखाव आवंटी/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को बहन करना होगा।
- 4.11 चयनित आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर वरिसर के रामीप अरथात् स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।
- 4.12 विशेष अवसरों हेतु, आवंटी/संचालक को अपने संबंधित वितरकों को अधिक गौंग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।
- 4.13 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी भी दिन बन्दन ही होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा संबंधित प्राधिकारी को पूर्व में सूचना प्रदान की जायेगी।
- 4.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय आवंटी/संचालक द्वारा प्राप्त वरतुओं की गुणवत्ता और मात्रा की जांच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विवार नहीं किया जायेगा।
- 4.15 चयनित आवंटी/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी व्यक्ति व पुश्कर्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।
- 4.16 आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के बेडर संधालन हेतु अधिकतम दो रोल्व मैन को नियुक्त कर सकते हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्समैन का वेतन आवंटी/संचालक को ही प्रदान करना होगा।
- 4.17 आवंटी/संचालक को उन वरतुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। आवंटी/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम विक्री करने का प्रयास करना होगा।
- 4.18 संबंधित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि आवंटी/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगति पूर्ण, त्रुटि पूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के वितरक के संबंध में कोई शिकायत होती ऐसे नामांकन को आवंटी/संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के संबंधित सक्षम प्राणीकारी के समक्ष उठाया जायेगा।
- 5.0 रख रखाव एवं अन्य शुल्कों का भुगतान:-**
- 5.1 आवंटी/संचालको Letter of Award (LOA) के निर्गत वी तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी लवाप्रिमाणित छाया प्रति रिकार्ड हेतु संबंधित संघ/इकाई को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।
- 5.2 आवंटी/संचालक को निविदा के आलोक में देय आवंटी/संचालक किया/दर प्रत्येक माह के पौंच तारीख को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित मासिक आवंटित दर में प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत 15% वी वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कियाया यदि भूमि के लिए लागू हो उसे आवंटी/संचालक को बहन करना होगा।
- 5.3 आवंटी/संचालक को विजली बिल, गृहिक रख-रखाव किया/दर, पानी शुल्क तथा अन्य वैद्यानिक खर्च प्रत्येक माह के पौंच तारीख के पूर्व वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना में जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा। विजली व पानी आवश्यक का क्षेत्रांश आवंटी को रखने के नाम पर लेना आवश्यक होगा।
- 5.4 आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पत्ति के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर भवन का बीमा करना चाहिए तथा बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम रामय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संबंधित वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

- 5.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा अधिकारी लिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद / बिक्री की जानी चाहिए।
- 6.0 **सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का समापन:-**
- 6.1 आवंटित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल प्रारंभ होने की गणना एकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटन कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी अन्य पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।
- 6.2 यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है:-
- (क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।
 - (ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।
 - (ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।
 - (घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उप-पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।
 - (ङ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादोंको निर्धारित दर (M.R.P) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।
 - (च) यदि वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बद पाया जाता है।
- 6.3 वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को आवंटी/संचालक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की अधिकार सुरक्षित रखता है यदि वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को ज्ञात होता है कि आवंटी/संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों के हित के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना या सुधा ब्राण्ड वाली छपि खराब हो रही है।
- 6.4 आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को शॉर्डर करने की स्थिति में आवंटी/संचालक को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना दो तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।
- 6.5 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के ब्यवहार की पूर्व के प्रक्रिया के तहत की जायेगी।
- 6.6 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को संचालक / आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कर्बा माना जायेगा, जिसमें प्रति दिन 100 रु० दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु आवंटी/संचालक उत्तरदायी होगा। दण्डात्मक किसाये की गणना सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अनाधिकृत कर्बों के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।

6.7 आवटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्रॉडबैंग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को नो प्रतिग्रंथी में हैंडओवर और टेकओवर के माध्यम से वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना वैशाल या चयनित नये आवंटी/संचालक को सौंप दिया जायेगा, जिस पर वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के प्रतिनिधि एवं आवंटी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।

6.8 आवटन समाप्ति की दशा में पुराने आवंटी/संचालक के परिवर्तन से रानय मुराने आवंटी/संचालक द्वे द्वारा ही सभी बकाया राशि का निपटान एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में स्थित सभी रस्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी रान्ध लिंग पटना द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में लगाये/दिये सभी सम्पत्तियों का निरक्षण वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के अधिकृत संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कग्नी पाये जाने पर पुराने आवंटी/संचालक से उसकी क्षतिपुर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

7. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure):

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना को वरतु लिखित की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यादेश/संपादित किये गये एकरासनामा के आलोक में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं।

(ख) इस धारा/उपर्युक्त/खण्ड "अप्रत्याशित घटना" (Force Majeure) को शामिल करने का उद्देश्य वैसी घटनाओं, परिस्थितियों में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन से है, जो आवंटी/संचालक या वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें आवंटी/संचालक या वैशाल पाटलिपुत्र दुर्घ उत्पादक सहकारी संघ लिंग पटना की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है। हड्डताल, दुर्घटना, आगजनी, वाढ, और्धी-तुफान, भुकम्प, माहामारी अथवा शारान के आदेश या घोषणा के अनुपालनार्थ या वैरी परिस्थिति जो संबंधित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हो, को शामिल करना है।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की दशा में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम-1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी घासलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।